प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कुंजासू
तहसील– पोखरी
जिला– चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुंजासू द्वारा दिनांक 27.09.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हैं।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुंजासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

दिनांक 27/09/017

प्रपत्र 30.4

दिनाँक 27/09/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– कुंजासू

मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक हुई। मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दर्शन सिंह कण्डारी	[illegible]
2.	दशरथ सिंह कुंजारी	Dasrath Singh
3	मातवर सिंह कण्डारी	मातवर सिंह
4	सुदान सिंह कण्डारी	Sudan Singh Kandari
5.	पुष्कर सिंह राणा	पुष्करसिंह
6.	भगत सिंह राणा	BS Rana
7.	कल्याण सिंह राणा	Kalyan Singh
8	नन्दा सिंह कण्डारी	नन्दासिंह
9	राजेन्द्र सिंह बुटोला	[illegible]
10	किशन सिंह कण्डारी	किशन सिंह
11.	त्रिलोक सिंह कण्डारी	त्रिलोक सिंह
12.	नरेन्द्र सिंह कण्डारी	नरेन्द्र सिंह
13.	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
14	प्यारी देवी	प्यारी देवी
15	रणि सिंह	रणिसिंह
16	भरत सिंह	[illegible]
17	राजेन्द्र सिंह राणा	RS Rana
18	नरेन्द्र सिंह सावित्री देवी सावित्री देवी	सावित्री Narender Singh
	सावत्री देवी बुटोला सदस्या क्षेत्र पचायत वार्ड 13 विन... वि0ख0 पोखरी, चमोली	[illegible] हस्ताक्षर दिनांक वि0ख0 पोखरी (चमोली)

19-	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
20	बीना देवी-	बीना देवी
21	गोविन्दी देवी-	गोविन्दी देवी
22-	सुनीता देवी-	सुनीता
23	दलीप सिंह	दलीप सिंह
24		
25		
	सावित्री देवी	
	सावत्री देवी बुटोला	[illegible] ग्राम पंचायत [illegible]
	सदस्या	ह० [illegible]
	क्षेत्र पचायत वार्ड 13 वि…	दिनांक
	वि0ख0 पोखरी, चमो.	वि0ख0 पोखरी (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुनारख के अन्तर्गत भटियाणा, जरखेड़ा स्यालतीर एवं नलखेत के लिए स्वीकृत 4 कि०मी० मोटर मार्ग का प्रारम्भिक सर्वे किया गया है, जिसपर हम सभी ग्राम वासी सहमत है। अतः हम यह प्रमाण पत्र लिखकर देते हैं कि इस सर्वे पर हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है हम यह प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देते हैं।

दि० 28/09/17

स्थान - पोखरी

नाम ग्रामवासी - हस्ताक्षर

सावित्री देवी

सावित्री देवी बुटोला
सदस्या
क्षेत्र पंचायत वार्ड 13 बिनगढ़
वि०ख० पोखरी, चमोली

1. दर्शन सिंह कण्डारी - [signature]
2. कल्याण सिंह कण्डारी - कल्याणसिंह
3. किशन सिंह कण्डारी - किशनसिंह
4. जय सिंह कण्डारी - Jai Singh
5. लक्ष्मण सिंह - लक्ष्मणसिंह
6. राजेन्द्र सिंह बुटोला - [signature]
7. जीत सिंह कण्डारी (भटियाणा) - जीतसिंह
8. मोहन सिंह कण्डारी - मोहन सिंह
9. जगत सिंह कण्डारी - जगतसिंह
10. हेमन्त सिंह कण्डारी -
11. प्रेम सिंह कण्डारी - प्रेमसिंह
12. भगत सिंह कण्डारी
13. नन्दा सिंह कण्डारी - Nanda Singh
14. त्रिलोक सिंह कण्डारी - त्रिलोक सिंह
15. हरीश सिंह कण्डारी - [signature]

सुमित्रा देवी
सरपंच ग्रा० पं०
कुनारख

महोदय उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु कार्यालय के आधार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब करने की महती कृपा करें।
विनती के ...
विनीत
हुकमसिंह कण्डारी
पूर्व क्षे० पं० सदस्य ...

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग** के नव निर्माण हेतु **1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 03/09/2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अबरार अहमद (?) — उपजिलाधिकारी पोखरी — अध्यक्ष
2– श्री विक्रम सिंह रावत — वन क्षेत्राधिकारी, पोखरी — सदस्य
3– श्री देवेन्द्र सिंह — सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव
4– श्री विनोद लाल — बी०डी०सी० क्षेत्र — सदस्य
5– श्री तेजपाल सिंह — बी०डी०सी० क्षेत्र आली — सदस्य
6– श्री विनीता देवी — बी०डी०सी० क्षेत्र थालाबैड विनीता देवी — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्षेत्र पंचायत आली वि०ख० पोखरी (चमोली)

विनीता देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत थालाबैड
वि० ख० पोखरी (चमोली)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधि
(विकास खण्ड पोखरी)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No……… **Dated…………..**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.631 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of **Maithana to Syaltary Motor Road** in Chamoli district falls within jurisdiction of Kunjasu village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला अधिकारी
चमोली

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

FORM-II

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana (IAS) District Magistrate Chamoli on date 01/11/2021 at time 03:00 Pm at G.P.R... in which application claiming rights in total area measuring 1.631.... hect. for the construction of Maithana to Syaltari Motor Road (4.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:

जिला अधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar.

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या– 11–9/98 एफ०सी० दिनाँक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अमीन नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी
पटवारी क्षेत्र देवर	तहसीलदार पोखरी तहसीलदार पोखरी जिला चमोली	उपजिलाधिकारी पोखरी उपजिला अधिकारी पोखरी	जिलाधिकारी जिलाधिकारी चमोली